पूर्व मध्य रेल

सं. पीबी/विविध/रात्रि भत्ता/2020 धनबाद, दिनांक 03.11.2020

सर्व संबंधित
पूर्व मध्य रेल
धनबाद मंडल।

विशय : रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA) की पात्रता, संशोधित दर पर भुगतान एवं अधिक भुगतान की कटौती के संबंध में।

संदर्भः 1. रेलवे बोर्ड का पत्र RBE No. 36/2018 दिनांक 08.03.2018 एवं RBE No. 83/2020 दिनांक 29.09.2020
2. इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.10.2020.

''''''

रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित RBE No. 36/2018 दिनांक 08.03.2018 सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA) का निर्धारित तथा दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी दर एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार पर दिनांक 08.03.2018 तक रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA) के मद में यदि अधिक भुगतान किया गया है तो अधिभुगतान की आवश्यक कटौती की जानी है।

पुनः रेलवे बोर्ड द्वारा परिपत्रित RBE No. 83/2020 दिनांक 08.03.2020 के तहत रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA) भुगतान की पात्रता सीमा रू. 43600/– मूल वेतन के रूप में निर्धारित की गयी है जो संशोधित आधार पर दिनांक 01. 07.2017 से प्रभावी है। अतः दिनांक 01.07.2017 के उपरांत संशोधित दर से अधिक भुगतान किये गये विषयक मद की राशि की कटौती की जानी है।

अतः उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देश के तथ्यों एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए रात्रि ड्यूटी भत्ता मद में हुई अधिक भुगतान की राशि न्यूनतम किस्तों में अथवा प्रतिमाह के मूल वेतन भुगतान राशि के 10 प्रतिशत के बराबर किस्तों में माह नवम्बर 2020 से कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया इस आशय से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से संसूचित की जाय।

सहायक कार्मिक अधिकारी–।
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

प्रतिलिपिः–
मुकार्याधी/सा0 – कृपया मंडल रेल प्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ।
अमरेप्र (इंफ्रा./परि./बरका) – कृपया सादर सूचनार्थ।
मंडल सचिव/ECRKU, AIOBCREA, AISCSTREA को सूचनार्थ।

कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

Signed by Niraj Kumar
Date: 03-11-2020 18:37:14
Reason: Approved